अध्याय

2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा का तर्काधार एवं कार्यक्षेत्र

लोहा एवं इस्पात उद्योग अत्यधिक प्रदूषक एवं संसाधन गहन उद्योग है। यह भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क आदि का कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग करता है। इसलिए लोहा एवं इस्पात उद्योग की कम्पनियों का पर्यावरण सुरक्षा तथा परिधीय विकास के प्रति उत्तरदायित्व बनता है।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2004–05 से 2009–10 तक की अवधि के लिए इन कम्पनियों के सीएसआर कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन की सीएसआर कार्यकलापों के लिए संसाधन आबंटन, पर्यावरणीय देखभाल, सुरक्षा एवं परिधीय विकास के संदर्भ में बृहद समीक्षा की गई थी।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सेल एवं आरआईएनएल द्वारा किए गए सीएसआर के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा इन बातों के निर्धारण के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

- कम्पनियों ने ऐसी सीएसआर नीति बनाई है जो सीएसआर समस्याओं का पर्याप्त समाधान करती हैं तथा क्या सीएसआर के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है;
- कम्पनियों के पास पर्यावरण संबंधी ज़िम्मेवारियों जैसे पर्यावरण नियंत्रण, अपशिष्ट का प्रबंधन और कानूनों के अनुपालन का निर्वाह करने के लिए समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं प्रणाली है;
- कम्पनियों में प्रचलित सुरक्षा प्रथाएं निर्धारित प्रतिमानों/मानदण्डों, नियमों के अनुरूप हैं; तथा
- कम्पनियां परिधीय विकास जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, जीविका सृजन, अवसंरचना विकास और पुनर्वास के प्रति अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी ढंग में तथा दक्षतापूर्वक निर्वाह करने में सक्षम हैं।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

कम्पनियों के निष्पादन के निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्डों का प्रयोग किया गया था:

- सेल एवं आरआईएनएल की पर्यावरण नीतियां और सीएसआर के लिए निधि आबंटन हेतु अनुदेश।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा 2003 में जारी "पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कारपोरेट दायित्व पर घोषणा पत्र" (सीआरईपी) में प्रदत्त "एकीकृत लोहा एवं इस्पात उद्योग" से संबंधित कार्य बिन्दू।
- विश्व इस्पात एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित विश्व इस्पात उद्योग डॉटा।
- समय–समय पर यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1989।
- ईपीए अधिसूचना दिनांक 20/07/1998 में दिए गए जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संचालन हेतु मानक।

- वायु (पर्यावरण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 16(2) के अन्तर्गत जारी 11/04/1994 की अधिसूचना के अनुसार आस–पास की हवा की गुणवत्ता के मानदण्ड।
- ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत निर्धारित ध्वनि स्तर के लिए मानदण्ड।
- फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में निर्धारित कामगारों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान।
- मानक प्रचालन प्रथाओं के अनुसार कम्पनियों की सुरक्षा नीतियां और अनुदेश।
- सीएसआर नीति एवं योजना।
- प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एमओयू।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने संगत अभिलेखों की जांच की जिसके आधार पर सेल और आरआईएनएल को प्रारम्भिक आपत्तियां जारी की गई थी तथा प्रबंधनों से प्रत्युत्तर की प्राप्ति के पश्चात् दिसम्बर 2010 में एग्ज़िट कॉफ्रेंस की गई थी। इस्पात मंत्रालय का उत्तर भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष बनाते समय, जिनकी चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है, समुचित रूप से शामिल कर लिया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा चार अध्यायों में की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है

- **अध्याय 3** इसमें सीएसआर नीति और कार्यान्वयन ढांचे से संबंधित मामले शामिल हैं।
- **अध्याय 4** इसमें वायु उत्सर्जन, ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा अपशिष्ट के प्रबंधन आदि से संबंधित विषयों को उजागर किया गया है।
- **अध्याय 5** इसमें कर्मचारी सुरक्षा, घातक दुर्घटनाएं तथा अपर्याप्त गृह व्यवस्था के विषय उजागर किए गए हैं।
- **अध्याय 6** इसमें सामाजिक विकास जैसे शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, सीएसआर कार्यकलापों की योजना के लिए समाज के सर्वेक्षण आवश्यकता निर्धारण के अभाव/तथा सीएसआर कार्यकलापों के प्रभाव निर्धारण संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है।

2.6 आभार

हम विभिन्न स्तरों पर कम्पनियों के प्रबंधनों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिसके कारण इस निष्पादन लेखापरीक्षा को पूरा करने में सुविधा हुई।